



कार्यालय-महाप्रबंधक म०प्र०ग्रा०स०वि०प्राधिकरण
(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1 एवं 2 पन्ना (म०प्र०)
E-mail :- gmpanna@rediffmail.com , PH :- 07732-254019



पत्र क्रमांक **816** /म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./**सब** /2022
प्रति,

पन्ना दिनांक **17/8/2022**

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- पन्ना जिले के अंतर्गत एस.एच.-49 से बरहाकला व्हाया इटवांकला कोहनी मार्ग, मडवा से रैपुरा मार्ग, गुमानगंज से कुडई नहर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि का ऑनलाईन प्रपोजल आगे बढ़ाने बाबत।

विषयान्तर्गत जिला पन्ना के अंतर्गत एस.एच.-49 से बरहाकला व्हाया इटवांकला कोहनी मार्ग, मडवा से रैपुरा मार्ग, गुमानगंज से कुडई नहर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया जाना है। इन मार्गों के निर्माण में वन विभाग की लगभग 5.4395 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिस हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	प्रपोजल नं.	प्रपोजल का नाम	श्रेणी	क्षेत्रफल (है०)
1	FP/MP/ROAD/157183 /2022	एस.एच.-49 से बरहाकला व्हाया इटवांकला कोहनी मार्ग	मार्ग	2.6383
2	FP/MP/ROAD/157126 /2022	मडवा से रैपुरा मार्ग	मार्ग	1.90
3	FP/MP/ROAD/156717 /2022	गुमानगंज से कुडई नहर मार्ग	मार्ग	0.9012
कुल				5.4395

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि दी जाना होती है। जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में है एवं कलेक्टर महोदय द्वारा लगभग 01 माह में वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रपोजल क्रमांक 1, 2 एवं 3 को आगे बढ़ाने की कृपा करें। जिससे क्षेत्रीय स्तर की कार्यवाही की जा सके।

धन्यवाद।


(एम.के. कोरी)

महाप्रबंधक
म०प्र०ग्रा०स०वि०प्राधिकरण